भाम सिंह **बनाम** सतपाल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 05 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/42

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/12 के मुरब्बा नम्बर 13, 18 की कुल 12.334 हेक्टैयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादगत भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 पूर्व में मालिक व काबिज होने के करण उक्त भूमि के सम्बन्ध में रहन, बेय करने का पूर्ण अधिकार अप्रार्थीगण का था। वर्तमान में उक्त भूमि में से करीबन 28 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 को बेचान कर दिया गया है और अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं है ना ही खरीद कर्ता है। उक्त भूमि का कब्जा भी प्रार्थी के पास नहीं है। प्रार्थी ने अपना काउन्टर क्लेम व स्थगन प्रार्थना पत्र मुखालफाना कब्जा के आधार पर पेश किया है जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। इसके अलावा मुखालफाना कब्जा के आधार पर कोई भी स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और मुखालफाना के आधार पर कोई अधिकार सर्जित नहीं होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किए जाने योग्य है। लिहाजा राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू. अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/12 के मुरब्बा नम्बर 13, 18 की कुल 12.334 हेक्टैयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काउन्टर क्लेम व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को कोई अनुतोष प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में तय होना है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है। तो मौका पर कब्जा सम्बन्धित विवाद होने की संभावना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 18/12 के मुरब्बा नम्बर 13, 18 की कुल 12.334 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)